

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

**असाधारण
EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 408] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 29, 1979/पौष 8, 1901
No. 408] NEW DELHI, SATURDAY, DEC. 29, 1979/PAUSA 8, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1979

सा. का. नि. 720(अ).—केन्द्रीय सरकार, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 8 के साथ पठित धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (कर्मचारीवृन्द सदस्य भती^१) नियम, 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (कर्मचारीवृन्द सदस्य भती^१) संशोधन नियम, 1979 है ।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (कर्मचारीवृन्द सदस्य भती) संशोधन नियम, 1978 के नियम 3-क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“3-ख प्रोन्नति कोटा पदों पर कतिपय वर्ग के व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए विशेष उपबन्ध.—इन नियमों में किसी गात के होते हुए भी, ऐसे पदों के मामले में, जिनके लिए भती को एक पदभति प्रोन्नति है और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (कर्मचारीवृन्द सदस्य भती) संशोधन नियम 1979 के प्रारम्भ की तारीख तक प्रोन्नति के लिए कोई पात्र व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो, आयोग भती की किसी अन्य पदभति को अपनाने से पूर्व, संघ लोक सेवा आयोग की सहमति में, प्रोन्नति के पद को किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति द्वारा भर सकता है जो किसी ऐसे मद पर कम से कम सात वर्ष से कार्य कर रहा है।”

[संख्या ए-12018/1/75 प्रशा. 1]

एस. सी. मिश्राल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 1979

G.S.R. 720(E).—In exercise of the powers conferred by section 67, read with section 8, of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission (Recruitment of Members of Staff) Rules, 1974, namely :—

1. (1) These rules may be called the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission (Recruitment of Members of Staff) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. After rule 3A of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission (Recruitment of Members of Staff) Amendment Rules 1978, the following rule shall be inserted, namely :—

“3B Special Provision to appoint certain class of persons against promotion quota posts.—Notwithstanding anything contained in these rules, in the case of posts for which promotion is one of the methods of recruitment and no person eligible for promotion is available till the date of commencement of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission (Recruitment of Members of Staff) Amendment Rules, 1979, the Commission may, before resorting to any other method of recruitment, fill up the quota for promotion by appointing, with the concurrence of the Union Public Service Commission, any person who has been working on any such post for a period of not less than seven year.”

[No. A-12018/1/75-Admn. I]

S. C. MITAL, Jt. Secy.